अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ.4(759)परावि/पीसी/पीसी/टेबलेट एसेसीरीज/19/ 1352 जयपुर, दिनांक – 26/06/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं में कार्यालय उपयोग हेतु कम्प्यूटर, टेबलेट एवं एसेसीरीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत।

संदर्भः– विभागीय पत्र क्रमांक 51 दिनांक 16.5.19, 1078 दि0 20.5.19 एवं 569 दिनांक 27.2.19

महोदय,

पंचायती राज संस्थाओं को सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना एंव संचार तकनीक के माध्यम से अधिक से अधिक उपयोगी, सरल, सशक्त एवं पारदर्शी रूप से कार्य करने, विभागीय आई.टी. एप्लीकेशन पर कार्य करने हेतु आई.टी. कार्य योजना जारी करते हुए एवं इस हेतु वृहद् प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करने के निर्देश उक्त संदर्भित प्रथम दो पत्रों द्वारा दिये गये हैं।

दिनांक 3.6.2019 को आयोजित वी.सी. में संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि एफएफसी मद में कराए जाने वाले प्रत्येक कार्य की जिओ–टेगिंग, प्रगतिरत व पूर्ण कार्यों के फोटोग्राफ आदि एक्शन सॉफ्ट/एम एक्शन सॉफ्ट में दर्ज होना अनिवार्य है अन्यथा राज्यों को ग्रांट प्राप्त करने में समस्या हो सकती है।

विभागीय आई.टी. विजन डॉक्यूमेंट को लागू करना एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने हेतु टेबलेट, कम्प्यूटर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत विभागीय समसंख्यक पत्रांक 569 दिनांक 27.2.2019 लिखा गया है। इस क्रम में :–

1. फील्ड में कार्यों का निरीक्षण, जिओ–टेगिंग एवं प्रगतिरत कार्यों के फोटो कैप्चर, विभिन्न आई.टी. एप्लिकेशन पर कार्य करने आदि जैसे कार्यों के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक टेबलेट क्रय किया जावे।
2. टेबलेट के अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम्प्यूटर एवं अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जाये।
3. पंचायत समिति एवं जिला परिषद में फील्ड में कार्यों के निरीक्षण करने वाले कार्मिकों को एसएफसी–पंचम मद की अनुदान राशि से आवश्यकतानुसार टैबलेट उपलब्ध करवाये जा सकते है।

Desktop/pa/se/2019

Scanned by CamScanner

4. सामग्री क्रय करते वक्त जैम (GEM) पोर्टल की दरों को भी ध्यान में रखा जावें।

आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्था को 2 माह में आई.टी. उपकरणों से सुसज्जित करना एवं इस विषय की प्रगति पाक्षिक रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करावें। निर्देशों की समय पर पालना नहीं होने की स्थिति में एफएफसी की ग्रांट प्राप्त नहीं होने पर उसका उत्तरदायित्व संबंधित विकास अधिकारी का होगा।

भवदीय,

(आशुतोष ए.टी.पेडणेकर)
शासन सचिव एव आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंराज
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज
3. निजी सचिव, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा योजना, राज0 जयपुर
4. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण, राज0 जयपुर
5. संयुक्त शासन सचिव, प्रशा01
6. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त
7. एसीपी, पंचायती राज को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त
9. SPMU पंचायती रा

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.)

Desktop/pa/se/2019

Scanned by CamScanner